उत्तर प्रदेश शासन
नियोजन अनुभाग-1
संख्या- 172/2024/7-362/105121/ज0नि0प्र0/2024/35-1-2024
लखनऊः दिनांक: 25-11-2024

<u>कार्यालय-ज्ञाप</u>

जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ०प्र० में श्री रणधीर कुमार सिंह, जे०टी०ओ० (ई०बी०), कार्यालय पी०जी०एम० (ई०बी०), यू०पी० ईस्ट सर्किल, भारत संचार निगम लिमिटेड, लखनऊ के ईमेल दिनांक 31.08.2024 द्वारा TRAI Exempted Sender IDs का उपयोग करते हुए फैमिली आई०डी० - एक परिवार एक पहचान योजना के अंतर्गत प्रदेश के अध्यासितों को SMS भेजने के सम्बन्ध में 01 वर्ष की वैधता के साथ 02 करोड़ SMS के लिए Prepaid bulk Push Service उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में Proposal cum Demand Note उपलब्ध कराया गया है, जिसमें वर्णित Summary of Charges के अनुसार Rs. 5,35,720/- (पाँच लाख पैंतीस हजार सात सौ बीस रुपये मात्र) के भुगतान की अपेक्षा की गयी है, जिसके सापेक्ष भारत संचार निगम लिमिटेड को प्रथम किस्त के रूप में 40 प्रतिशत अग्रिम धनराशि रु0-2,14,288 (रु0-दो लाख चौदह हजार दो सौ अट्ठासी मात्र) का भुगतान भारत संचार निगम लिमिटेड के बैंक खाता Beneficiary Name- "AO Cash BSNL PGMTD Lucknow", Bank Name- PNB, Account No- 2411002100053445, IFSC Code- PUNB0241100, Account Type- Current Account, Branch Address Vidhan Sabha Marg Lucknow, PAN NO. (PGMTD LKO.BSNL): AABCB5576G, GSTIN No.: 09AABCB5576G1ZJ. TAN No.: LKNC01248C, PGMTD Lucknow, को निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

(1) वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 15 नवम्बर, 2017 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित शासनादेश दिनांक 25.10.1983 व अन्य सन्दर्भित शासनादेशों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(2) धनराशि भारत संचार निगम लिमिटेड (बी०एस०एन०एल०) को निर्गत किये जाने के दिनांक से उनके द्वारा वास्तविक उपयोग किये जाने की तिथि तक जो भी ब्याज अर्जित होगा, उसे राजकोष में जमा कराये जाने का दायित्व जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ०प्र० का होगा।

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर 162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिये भी संबंधित सरकारी कर्मचारी/अधिकारी जिम्मेदार होगा।

(4) वित्तीय वर्ष में स्वीकृत समस्त अग्रिम धनराशि का समायोजन वित्तीय वर्ष की समाप्ति तक अवश्य कर लिया जायेगा तथा प्रश्नगत धनराशि का समायोजन कराते हुए लेखाकर के पुस्तांकित आंकड़ों में भी समायोजन करा दिया जाये।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

(5) सूक्ष्य, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग-2 द्वारा नवनिर्मित प्रोक्योरमेण्ट मैनुअल, 2016 के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.17 की व्यवस्था यदि प्रश्नगत प्रकरण में लागू होने की दशा में जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ०प्र० द्वारा उक्त का ध्यान रखा जायेगा।

(6) जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ०प्र० द्वारा वर्तमान वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर सक्षम स्तर से हस्ताक्षरित उपयोगिता प्रमाणपत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

2. उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में नियोजन विभाग के अंतर्गत फैमिली आई०डी० - एक परिवार एक पहचानयोजना हेतु अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक- "2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03 फैमिली आई०डी० - एक परिवार एक पहचान- 42- अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या- E-5-109-X-2024-25, दिनांक 12-11-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

संख्या-172/2024 /7-362/105121/ज0नि0प्र0/2024(1)/35-1-2024, तद्दिनांक ।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, इलाहाबाद।
3. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5, उ०प्र० शासन।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
6. महानिदेशक, राज्य नियोजन, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ०प्र०।
7. आहरण एवं वितरण अधिकारी, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग) उ०प्र०, लखनऊ (तीन प्रतियों में)।
8. श्री चन्दन सिंह, निदेशक, जनशक्ति नियोजन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान (नवीन प्रभाग), उ०प्र० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उक्त अग्रिम धनराशि का सत्यापित/प्रति हस्ताक्षरित बिल/वाउचर एवं उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।